कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :– एफ.37(3)/नि.आ./जो.स्त./स./का.वि./2023/3672 दिनाक :– 06/02/2023

–:: कार्यवाही विवरण ::–

नगरीय विकास विभाग एवं स्वयत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25/11/2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की 15/2023 वीं बैठक दिनांक 06/02/2023 को उपायुक्त (जोन–06) की अध्यक्षता मे उनके कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक मे प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है :–

एजेण्डा संख्या 01.

विषय :– जोन–06 की जोन स्तरीय समिति की 14/2023वीं. बैठक दिनांक 30/01/2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि ।

निर्णय :– समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त गत बैठक मे कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 102, 103 व 109 समस्त बट्टा नंम्बर एवं खसरा संख्या 112, 113, 114 समस्त बट्टा नंम्बर के पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान मे संशोधन बाबत्।

प्रकरण तथ्य –

1. पूर्व मे अनुमोदित ले–आउट प्लान व मौका स्थिति अनुसार कुछ भूखण्डों के माप मे भिन्नता पाई गयी।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार–विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार ले–आउट प्लान मे संशोधन करने का निर्णय लिया गया।**

01. मौका रिपोर्ट अनुसार किये गये संशोधन के उपरान्त पूर्व मे अनुमोदित ले–आउट के क्षेत्रफल विश्लेषण मे कोई अन्तर नही पाया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा संख्या 83 रकबा 9–12 बीघा में से 09–00 बीघा एवं खसरा संख्या 83मीन रकबा 09–02 बीघा में से 04–00 बीघा भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार–विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।**

01. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।

02. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।

03. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन दिनियम के प्रावधाननुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियामानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

04. प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बावत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्वनगत भूमि पर कोई विवाद नही है, और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

05. ले–आउट प्लान की समस्त सडको को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे, मौके पर कम होने स्थिति में दोनो साईड से बराबर–बराबर काटी जावें।

06. उक्त ले–आउट प्लान में आवासीय एवम् सुविधा क्षेत्र का अनुपात निम्न तांलिका अनुसार हैः–

क्र.सं.	प्रयोजन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	प्रतिशत
01.	आवासीय	13996.09	68.35
02.	सुविधा क्षेत्र	00.00	00.00
03.	सड़क	6481.49	31.65
	कुल	**20477.58**	**100.00**

तहसीलदार
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

अधिशाषी अभियंता
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (जोन–06)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक :– एफ.37(3)/नि.आ./जो.स्त./स./का.वि./2023/3673-78 **दिनाक :–** 06/02/2023

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जोविप्रा, जोधपुर।
3. निदेशक (आयोजना), महोदय, जोविप्रा, जोधपुर।
4. उपायुक्त जोन–06 जोविप्रा जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक/अधिशाषी अभियंता, जोन–06 जोविप्रा जोधपुर।
6. तहसीलदार जोन–06, जोविप्रा, जोधपुर।

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव, जोन–स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर